झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–20 के लिये निर्धारित राज्य राजकोषीय समेकित नीति के अनुरूप झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

   (i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने के तिथि से प्रभावी होगा।

2. **झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन।**

   (i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

   "वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत तक तथा वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 तथा 2019–20 के लिए 3.25 प्रतिशत तक सीमित रखना।"

   राज्य की बिजली वितरण कम्पनी (DISCOM) के वित्तीय पुनरूद्धार तथा उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजना UDAY के तहत् खुले बाजार से वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में लिये गये उधार उपरोक्त शर्त्तों के परे होंगे।

यह विधेयक झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को झारखण्ड विधान–सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 59--50--18-12-2015